

आयुक्त, आयकर, मद्रास

बनाम

प्रबंधक न्यासी, नागौर दरगाह, नागौर

8 अप्रैल, 1965

[के. सुब्बा राव, जे.सी. शाह तथा एस.एम. सिकरी, न्यायमूर्तिगण]

वक्फ—मुस्लिम वक्फ के प्रबंधन की योजना—वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु न्यासियों को 'नत्तमाइगर्स' कहा गया—अधिशेष आय का वितरण—लाभार्थियों के रूप में 'कसुपंगदार'—परिभाषित हिस्से—आय का आकलन कैसे किया जाए—भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 41 की प्रयोज्यता।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 1955 में तंजावूर ज़िले में एक संत को समर्पित नागौर दरगाह की आय एवं संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक योजना निर्धारित की। योजना के अंतर्गत दरगाह की संपत्तियों का प्रबंधन आठ न्यासियों के हाथों में होना था, जिन्हें 'नत्तमाइगर्स' कहा गया, और उनमें से एक को प्रबंधक न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाना था। न्यास की शुद्ध आय संत के दत्तक पुत्र के वंशजों—जिन्हें 'कसुपंगदार' कहा गया—के बीच वितरित की जानी थी, जिनके निश्चित हिस्से प्रत्येक वर्ष प्रबंधक न्यासी द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने थे। निर्धारण वर्षों 1953-54 तथा 1954-55 के लिए आयकर अधिकारी ने प्रबंधक न्यासी के हाथों वक्फ की अधिशेष आय का आकलन व्यक्तियों के संघ के रूप में किया। न्यासियों ने अपीलीय सहायक आयुक्त तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें कीं, परंतु वे असफल रहीं। विवाद इस प्रश्न पर केंद्रित था कि क्या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 41 इस मामले पर लागू होती है। न्यायाधिकरण के संदर्भ पर, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 41 लागू होती है और यह कि न्यासियों द्वारा लाभार्थियों की ओर से आय प्राप्त की जाती है। इससे आहत होकर, आयुक्त, आयकर ने प्रमाण-पत्र के आधार पर इस न्यायालय में अपील की।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूँकि संपत्तियाँ प्रबंधक न्यासी में निहित थीं और वह आय को अपने अधिकार में प्राप्त करता था, न कि लाभार्थियों की ओर से, अतः लाभार्थियों के लिए न्यासी के हाथों प्राप्त उक्त आय धारा 41 के दायरे से बाहर है।

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में सही रूप से दिया।

(1) निहितता का तकनीकी सिद्धांत धारा 41 में अंतर्निहित नहीं किया गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि न्यास विलेख के अंतर्गत नियुक्त न्यासी में विधिक रूप से संपत्ति निहित हो जाती है, मुस्लिम वक्फ के मामले में संपत्ति अल्लाह में निहित होती है; फिर भी दोनों ही स्थितियों को धारा 41 के अंतर्गत लाया गया है। अतः धारा में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों में संपत्ति निहित होती है और कुछ में नहीं। धारा की युक्तिसंगत व्याख्या यह है कि उसमें उल्लिखित सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से, या अपने या उनके हित के लिए, संपत्ति प्राप्त करने वाला माना जाता है। उनमें से किसी का भी आय में लाभकारी हित नहीं होता; वह दूसरों के हित के लिए आय एकत्र करता है। इस दृष्टिकोण से, भले ही *नत्तमाइगर्स* ऐसे न्यासी हों जिनमें दरगाह की संपत्तियाँ निहित थीं, फिर भी उन्हें यह माना जाएगा कि उन्होंने आय केवल कसुपंगदारों की ओर से, उनके निश्चित अंशों में, प्राप्त की थी। [662 जी-663 बी]

(ii) मुस्लिम वक्फ का मुतवल्ली मात्र एक प्रबंधक होता है, न कि अंग्रेजी व्यवस्था में समझे जाने वाले अर्थ में "न्यासी"। [663 ई] *विद्या वरुथि तीर्थ बनाम बालुसामी अय्यर*, (1921) 48 आई.ए. 32 तथा *अल्लाह रखी बनाम मोहम्मद अब्दुर रहीम*, (1933) 61 आई.ए. 50, पर भरोसा किया गया। अतः अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजन से *नत्तमाइगर्स* अन्य व्यक्तियों की ओर से संपत्तियों के प्रबंधनकर्ता थे और उन्हें उनसे प्राप्त आय भी उन्हीं की ओर से प्राप्त करने का अधिकार था। [663G-एच]

(iii) योजना की धारा 3 के अंतर्गत दरगाह तथा उसकी संपत्तियों का "प्रबंधन और प्रशासन" *नत्तमाइगर्स* में निहित था, न कि स्वयं संपत्तियाँ। स्पष्ट शब्दों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि दरगाह के बंदोबस्त के लिए योजना बनाते समय उच्च न्यायालय ने मोहम्मदन विधि के प्रतिकूल "न्यास" की कोई बाहरी अवधारणा आरोपित की। अतः योजना के अंतर्गत दरगाह की संपत्तियाँ *नत्तमाइगर्स* में निहित नहीं हुईं और राजस्व की ओर से प्रस्तुत दलील सफल नहीं हो सकी। [664 डी, ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1964 की दीवानी अपील संख्याएँ 213 एवं 214

दिनांक 4 अप्रैल, 1961 के निर्णय एवं आदेश, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 1956

के संदर्भित वाद संख्या 130 में पारित किया गया था, के विरुद्ध अपीलें।

निरेन डे, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल; आर. गणपति अय्यर तथा आर. एन. सचथे—
अपीलकर्ताओं की ओर से (दोनों अपीलों में)।

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, एम. एम. इस्माइल तथा आर. गोपालकृष्णन — दोनों अपीलों
में उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **सुब्बा राव, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया—

मद्रास राज्य के तंजावूर ज़िले के नागौर नगर में हज़रत सैयद शाहुल हमीद कादिर अली गंजा सव्वो अंडावर को समर्पित एक दरगाह है, जो लगभग 400 वर्ष पुरानी बताई जाती है। उक्त दरगाह को उस पर दान की गई अचल संपत्तियों से तथा भक्तों द्वारा नकद एवं वस्तु रूप में दी गई भेंटों से पर्याप्त आय प्राप्त होती है। दरगाह तथा उसकी संपत्तियाँ वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 16 मार्च, 1955 को निर्धारित एक योजना के अंतर्गत प्रशासित की जा रही हैं। योजना के अनुसार दरगाह के कार्यों का प्रबंधन वंशानुगत रूप से आठ न्यासियों—जिन्हें नत्तमाइगर्स कहा जाता है—में निहित है, जो न्यासियों का एक मंडल गठित करते हैं। उक्त मंडल अपने सदस्यों में से एक को प्रबंधक न्यासी के रूप में निर्वाचित करेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। प्रबंधक न्यासी प्रत्येक फ़सली वर्ष के अंत में प्रबंधक द्वारा सत्यापित एक बैलेंस-शीट तैयार करेगा और *कसुपंगुदारों* को भुगतान हेतु उपलब्ध शुद्ध राशि का निर्धारण करेगा। *कसुपंगुदार*, जो संत के दत्तक पुत्र सैयद मुहम्मद यूसुफ के वंशज हैं। प्रबंधक न्यासी प्रत्येक *कसुपंगु* (हिस्से) के लिए देय राशि की घोषणा करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष तैयार की जाने वाली सूची में प्रत्येक *कसुपंगुदार* (हिस्सेदार) को संबंधित राशि आवंटित करेगा। वह सूची के अनुसार प्रत्येक *कसुपंगुदार* को देय राशि का भुगतान करेगा। यह कहा गया है कि वर्तमान में 640 *कसुपंगुदार* हैं। संक्षेप में कहा जाए तो, योजना के अंतर्गत दरगाह की चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का प्रबंधन नत्तमाइगर्स में निहित है और *कसुपंगुदार* अपने-अपने अंशों के अनुसार अधिशेष के हकदार हैं।

निर्धारण वर्षों 1953-54 तथा 1954-55 के लिए आयकर अधिकारी ने प्रबंधक न्यासी के हाथों अधिशेष आय का आकलन व्यक्तियों के संघ के रूप में किया। अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने उसी की पुष्टि की। आगे की अपील पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने

भी वही दृष्टिकोण अपनाया। निर्धारिती के आग्रह पर, न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66(1) के अंतर्गत मद्रास उच्च न्यायालय की राय हेतु निम्नलिखित प्रश्न संदर्भित किया, जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है—

"क्या इस मामले में निर्धारितियों पर धारा 41 के प्रावधान लागू कहे जा सकते हैं?"

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने, जिसने संदर्भ की सुनवाई की, यह निर्णय दिया कि प्रबंधक न्यासी ने *कसुपंगुदारों* की ओर से संपत्ति का प्रबंधन किया और आय अर्जित की, तथा यह कि उसके द्वारा प्राप्त आय में प्रत्येक *कसुपंगुदार* के हित की सीमा तक आकलन उक्त प्रबंधक न्यासी पर किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, उसने प्रश्न का उत्तर हाँ में और निर्धारिती के पक्ष में दिया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के आधार पर, आयुक्त, आयकर, मद्रास ने उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अपर सॉलिसिटर-जनरल ने यह तर्क दिया कि *नत्तमाइगर्स* न्यासी होने के कारण दरगाह की संपत्तियाँ उनमें निहित थीं, और इसलिए उन्होंने अथवा प्रबंधक न्यासी ने न्यास की संपत्तियों का प्रबंधन अपने अधिकार में किया, न कि *कसुपंगुदारों* की ओर से; फलस्वरूप अधिनियम की धारा 41 लागू नहीं होती और इसलिए आयकर अधिकारी द्वारा अधिशेष आय का आकलन न्यासियों के हाथों व्यक्तियों के संघ के रूप में करना सही था।

इसके विपरीत, निर्धारिती-उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री ने तर्क दिया कि दरगाह के *नत्तमाइगर्स* विधिक अर्थ में न्यासी नहीं थे, बल्कि केवल प्रबंधक थे, जो दरगाह और *कसुपंगुदारों* की ओर से संपत्तियों का प्रबंधन कर रहे थे। इसी आधार पर उनका तर्क आगे बढ़ता है कि *नत्तमाइगर्स* ने, प्रबंधक होने के नाते, *कसुपंगुदारों* की ओर से अधिशेष को निश्चित अंशों में वितरण हेतु धारण किया, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 41 लागू होती है।

प्रारंभ में हम यह स्पष्ट कर दें कि इस अपील में हम केवल उस अधिशेष से संबंधित हैं, जो दरगाह के व्ययों को पूरा करने के पश्चात् *नत्तमाइगर्स* के पास शेष रहता है।

इन अपीलों में प्रस्तुत समस्या का निर्णय अधिनियम की धारा 41 की सही व्याख्या पर निर्भर करता है। धारा 41 का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है—

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत कराधीन आय, लाभ या उपार्जन के मामले में, जिन्हें कोर्ट ऑफ वाडर्स, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक न्यासी अथवा कोई रिसीवर या प्रबंधक (जिसमें वह कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी अन्य की ओर से संपत्ति का वास्तविक प्रबंधन करता है) द्वारा, न्यायालय के आदेश के अधीन नियुक्त किया गया हो, अथवा विधिवत लिखित दस्तावेज (चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा) द्वारा घोषित ट्रस्ट के अधीन नियुक्त किसी न्यासी या न्यासियों द्वारा (जिसमें मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913 के अंतर्गत वैध किसी वक्फ विलेख के अधीन न्यासी भी सम्मिलित हैं), किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त की जाने वाली आय के संबंध में, कर उक्त कोर्ट ऑफ वाडर्स, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक न्यासी, रिसीवर या प्रबंधक अथवा न्यासी/न्यासियों पर उसी प्रकार और उसी मात्रा में लगाया तथा वसूल किया जाएगा, जिस प्रकार और जितनी मात्रा में वह उस व्यक्ति पर लगाया एवं वसूल किया जाता, जिसकी ओर से ऐसी आय, लाभ या उपार्जन प्राप्त किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

इस धारा के अंतर्गत, अन्य व्यक्तियों के हित के लिए सूचीबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्राप्त संपत्तियों की आय, उनके हाथों उसी प्रकार और उसी राशि में कर-आकलन के अधीन होगी, जिस प्रकार और जिस राशि में वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर आरोपित एवं उनसे वसूल की जाती, जिनकी ओर से ऐसी आय प्राप्त की जाती है। यह धारा उस मूल तथ्य पर केंद्रित है कि जिसके हाथों में आय का आकलन किया जाना है, वह उसे किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं; यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है, तो इस धारा के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। अतः यह तर्क दिया गया कि चूँकि संपत्तियाँ प्रबंधक न्यासी में निहित थीं और उसने आय अपने अधिकार में प्राप्त की, न कि लाभार्थियों की ओर से, यद्यपि उनके हित के लिए, इसलिए प्रबंधक न्यासी के हाथों प्राप्त उक्त आय अधिनियम की धारा 41 के दायरे से बाहर है।

इस तर्क के दो उत्तर हैं। निहितता का सिद्धांत इस तर्क के लिए प्रासंगिक नहीं है। धारा में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों में संपत्ति निहित होती है और कुछ में नहीं; वे केवल संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सामान्य विधि में संपत्ति रिसीवर या प्रबंधक में निहित नहीं होती, परंतु न्यासी में निहित होती है; तथापि न्यासी और प्राप्तकर्ता—दोनों—धारा 41 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इन सभी के बीच समान सूत्र यह है कि वे विधिक या तथ्यात्मक रूप से दूसरों के हित के लिए संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। यह कि निहितता का तकनीकी सिद्धांत

इस धारा में अंतर्निहित नहीं किया गया है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि न्यास के अधीन नियुक्त न्यासी के मामले में विधिक रूप से संपत्ति उसमें निहित होती है, मुस्लिम वक्फ के मामले में संपत्ति सर्वशक्तिमान (अल्लाह) में निहित होती है; फिर भी ऐसे मामलों में मुतवल्ली भी इस धारा के अंतर्गत लाए गए हैं। इस धारा की उचित व्याख्या यह है कि इसमें उल्लिखित सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से आय प्राप्त करने वाला या उनके लाभ के लिए उसका प्रबंधन करने वाला माना जाता है। उनमें से किसी का भी आय में कोई लाभकारी हित नहीं है; वे दूसरों के लाभ के लिए आय एकत्र करते हैं। इस दृष्टिकोण से, भले ही *नतमाइगर्स* न्यासी थे जिनमें दुर्गा की संपत्ति निहित थी, उन्हें केवल *कसुपंगदारों* की ओर से निश्चित भागों में आय प्राप्त करने वाला माना जाना चाहिए।

यदि इस समस्या को किसी भिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तब भी वही निष्कर्ष प्राप्त होगा। प्रिवी काउंसिल के प्रसिद्ध निर्णय *विद्या वरुथि तीर्थ बनाम बालुसामी अय्यर*(¹) में हिंदू अथवा मोहम्मदन धार्मिक न्यासों के प्रबंधक के संदर्भ में "न्यासी" शब्द के प्रयोग की अनुपयुक्तता को स्पष्ट किया गया था। उसमें उनके माननीय न्यायाधीशों, ने यह अवलोकन किया—

"न तो हिंदू विधि के अंतर्गत और न ही मोहम्मदन विधि की व्यवस्था में, समर्पण की स्थिति में किसी शैबैत या मुतवल्ली को कोई संपत्ति 'हस्तांतरित' की जाती है। न ही किसी संपत्ति का उसमें निहित होना माना जाता है; वह जो भी संपत्ति धारण करता है, वह देवता या उस संस्था के लिए, जिसे वह कुछ लाभकारी हितों के साथ प्रबंधक के रूप में धारण करता है, जो प्रथा और उपयोग द्वारा विनियमित होते हैं। मोहम्मदन विधि के अंतर्गत, जैसे ही वक्फ की स्थापना होती है, संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार वक्फ से निकलकर सर्वशक्तिमान ईश्वर (अल्लाह) में निहित हो जाते हैं। क्यूरेटर—चाहे उसे मुतवल्ली, *सज्जादानशीन* या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए—मात्र एक प्रबंधक होता है। वह अंग्रेजी विधि की अवधारणा में समझे जाने वाले अर्थ में निश्चय ही 'न्यासी' नहीं होता।"

प्रिवी काउंसिल ने वक्फ संपत्ति के संदर्भ में उक्त अवलोकनों की पुनः पुष्टि *अल्लाह*

1(1921) एल.आर. 48 आई.ए. 302, 315

रखी बनाम मोहम्मद अब्दुर रहीम⁽²⁾ में की। उक्त निर्णयों का प्रभाव यह है कि नत्तमाइगर्स केवल उन संपत्तियों के प्रबंधक हैं, जिनमें दरगाह और कसुपंगुदारों के लाभकारी हित हैं। संपत्तियाँ उनमें निहित नहीं होतीं। वे दरगाह के व्यय घटाने के पश्चात् शेष आय को दोनों की ओर से प्राप्त करते हैं, शेष राशि को कसुपंगुदारों की ओर से धारण करते हैं और उनके निश्चित अंशों के अनुसार उसका वितरण करते हैं। इस दृष्टि से, अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजन से नत्तमाइगर्स अन्य व्यक्तियों की ओर से संपत्तियों के प्रबंधक हैं और उन्हें उनसे प्राप्त आय भी उन्हीं की ओर से प्राप्त करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, कसुपंगुदारों की ओर से उनके पास जो आय रहती है, उसका आकलन केवल उसी प्रकार उनके हाथों किया जा सकता है, जैसा कि धारा में विनिर्दिष्ट है। तथापि यह कहा गया कि चाहे हिंदू या मोहम्मदन विधि का सिद्धांत कुछ भी हो, योजना की शर्तों के अंतर्गत संपत्तियाँ नत्तमाइगर्स में निहित थीं और इसलिए वे आय को अपने अधिकार में प्राप्त करते थे, न कि कसुपंगुदारों की ओर से—परंतु यह दलील स्वीकार्य नहीं है। योजना के प्रासंगिक भाग के सावधानीपूर्वक अध्ययन से इस तर्क का समर्थन नहीं होता। योजना की धारा 3-क, जो कि प्रासंगिक (मुख्य) उपधारा है, इस प्रकार पढ़ी जाती है:

“नागौर दरगाह, नागौर, तंजावुर जिला, तथा इससे संबद्ध अन्य तकिये और दरगाहें (जिनका उल्लेख नीचे अनुसूची ‘क’ में है), और उनसे संबंधित सभी संपत्तियाँ—चल एवं अचल—जो उससे संबंधित हैं या उससे संबंधित रही हैं या आगे दी जाएँगी, समर्पित की जाएँगी अथवा उन्हें दान/वसीयत द्वारा प्रदान की जाएँगी, इस योजना के प्रावधानों के अधीन, दरगाह के आठ न्यासियों अथवा नत्तमाइगर्स में वंशानुगत रूप से निहित होंगी, जो न्यासियों का मंडल (बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़) गठित करेंगे। प्रत्येक न्यासी अथवा नत्तमाइगर आजीवन पद धारण करने का अधिकारी होगा और उसके पश्चात् उसकी पदावधि दरगाह में ऐसे पद के संबंध में प्रचलित प्रथा के अनुसार उसके अगले पुरुष उत्तराधिकारी पर अवलंबित होगी।”

इस उपधारा के अंतर्गत नागौर दरगाह तथा उसकी संपत्तियों के कार्यों का प्रबंधन और प्रशासन नत्तमाइगर्स में निहित है। नत्तमाइगर्स में जो निहित है, वह दरगाह की संपत्तियाँ स्वयं नहीं हैं, बल्कि उनका प्रबंधन और प्रशासन है। जब तक शब्द स्पष्ट न हों, यह नहीं माना जा सकता कि दरगाह के बंदोबस्त हेतु योजना बनाते समय उच्च न्यायालय ने

मोहम्मदन विधि के प्रतिकूल "न्यास" की कोई बाहरी अवधारणा आरोपित की। अतः हम यह निर्णय देते हैं कि योजना ने दरगाह की संपत्तियों को *नतमाइगर्स* में निहित नहीं किया।

अंत में, एक क्षीण तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि योजना के अंतर्गत प्रबंधक न्यासी किसी न्यायालय के आदेश से नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि न्यासियों के आपसी समझौते से नियुक्त किया गया था। किंतु योजना की धारा 4 में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रबंधक न्यासी का निर्वाचन न्यासियों के मंडल में से किया जाएगा। जिस प्रबंधक न्यासी का निर्वाचन हुआ, वह निश्चित रूप से किसी न्यायालय के आदेश के अधीन नियुक्त माना गया, क्योंकि वह निर्वाचन न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया था। इस दृष्टिकोण में—अर्थात् कि *नतमाइगर्स* अंग्रेजी विधि की संकीर्ण अवधारणा में न्यासी नहीं हैं—यह प्रश्न विचारार्थ नहीं उठता।

परिणामस्वरूप, हम यह निर्णय देते हैं कि उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष संदर्भित प्रश्न का उत्तर सही रूप से, सकारात्मक रूप से और निर्धारिती के पक्ष में दिया है। अपीलें विफल होती हैं और लागत सहित खारिज की जाती हैं। एक सुनवाई शुल्क।

अपीलें खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।